ont>

Title: Need to withdraw excise duty and Sales Tax under V.A.T. imposed on powerloom industry in Rajasthan- Laid.

प्रो0 रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, इस समय राजस्थान घोर अकाल की विम परिस्थितियों से गुजर रहा है। राजस्थन के किशनगढ़, ब्यावर, पाली तथा बालोतरा आदि विभिन्न उद्योग के रूप में कार्यरत हैं और लगभग 30 हजार लोगों को रोजी रोटी का सहारा दिया जा रहा है। कृषि के बाद पावरलूम के माध्यम से वस्त्र उत्पादन में ही श्रमिकों को थोड़े बहुत रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। राजस्थान में सूती वस्त्र उत्पादन की पावरलूम फैक्ट्रियां अति लघु उद्योग इकाई के रूप में प्रयुक्त मशीनरी मात्र 50,000 से लेकर 2 लाख तक की लागत की है। पावरलूम से निर्मित इस वस्त्र उद्योग की पहले से ही हालत खराब है। प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति के कारण स्थिति और भी दयनीय है। अब पावरलूम उद्योग पर वेट अधिनियम के अन्तर्गत् 4 प्रतिशत सेल टैक्स तथा सूती वस्त्र उद्योग को उत्पादन शुल्क के दायरे में लेकर 10 प्रतिशत उत्पादन शुल्क की नयी कर व्यवस्था का प्रावधान किया है। इन प्रावधानों से यह बचा-खुचा उद्योग भी चौपट हो जायेगा।

अतः भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अनुरोध है कि कुटीर उद्योग के रूप में कार्यरत राजस्थान के पावरलूम उद्योग को चालू रखने, संकट से बचाने तथा श्रमिकों को बेरोजगार होने से बचाने हेतु नये बजट प्रस्तावों में कपड़ा उत्पादन पर लागू किए जाने वाले 10 प्रतिशत शुल्क तथा वेट अधिनियम के अन्तर्गत 4 प्रतिशत सेल्स टैक्स को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाये।